

केरल राज्य और अन्य
बनाम
त्रावणकोर केमिकल्स एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी और अन्य आदि
नवंबर 11, 1998
[एस.पी. भरुचा, जी.टी.नानावटी और बी.एन. किरपाल, जे. जे.]

बिक्री कर:

केरल सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1963-धारा 59क- कर की दर का निर्धारण-एक संशोधन द्वारा धारा 59क को शामिल किया गया था-राज्य सरकार को दिए गए कर की दर निर्धारित करने की शक्ति-इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह कर की दर निर्धारित करने के लिए अनियंत्रित शक्ति देता है-अपील का कोई वैधानिक अधिकार नहीं-उच्च न्यायालय ने अपील को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुये इसे असंवैधानिक करार दिया । माना गया कि धारा 59क सरकार को कर की दर निर्धारित करने के लिए पूर्ण और अंतिम शक्ति प्रदान करती है-कर की दर लागू करने से पहले टी/1 ई विक्रेता को सुनने का कोई दायित्व नहीं-अपील, संशोधन आदि का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं- संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन-उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-केरल सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1963-धारा 59क-संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया ।

उत्तरदाता विभिन्न वस्तुओं के निर्माता और विक्रेता थे। विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले माल पर देय कर की दर या जिस प्रविष्टि के तहत कोई विशेष वस्तु आएगी , उससे संबंधित प्रश्न का निर्णय मूल्यांकन अधिकारी और अपीलीय अधिकारी भी करते थे। एक संशोधन द्वारा केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 में धारा 59क को जोड़ा गया और लागू कर की दर निर्धारित करने की शक्ति सरकार को दी गई। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 59क के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि डिब्बाबंद सामान की वस्तुएं अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत आती हैं। उत्तरदाताओं में से एक ने सचिव, राजस्व बोर्ड को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि उनके उत्पाद हॉर्लिक्स को पहले सभी क्रमिक अधिकारियों द्वारा पहली अनुसूची की प्रविष्टि के तहत आने वाले दूध उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए , वे पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 के तहत देय दर पर नहीं, बल्कि कम अनुपाद दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। सचिव, राजस्व परिषद ने अपने उत्तर में कहा कि संबंधित मामले की सरकार द्वारा पहले ही जांच कर ली है और स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्लिक्स अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत आएगा। प्रत्यर्थी विक्रेताओं ने धारा 59क की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 59क में हानिकारक अस्पष्टता की सभी विशेषताएं थीं और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक था। अतः अपील दायर की है।

अपीलकर्ता राज्य ने तर्क दिया कि धारा 59 ए प्रत्यायोजित विधान का एक भाग है जो सरकार को कर की दर के संबंध में किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है; कि धारा ने उन सीमाओं का प्रावधान किया है जिनके अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है; और यह कि यह शक्ति अनुसूची के तहत वर्गीकरण के संबंध में थी न कि कर लगाने के लिए।

उत्तरदाता विक्रेताओं का तर्क यह था कि धारा 59 क का प्रभाव यह है कि जब भी उक्त प्रावधान के तहत कोई निर्देश जारी किया जाता है तो अपील आदि का वैधानिक अधिकार छीन लिया जाता है और इस धारा में कोई दिशा -निर्देश नहीं होते हैं और यह सरकार को बेलगाम शक्तियां देता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा

1.1- केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 59 क संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और इसलिए उच्च न्यायालय को j उक्त प्रावधान को निरस्त करने का अधिकार था। [659-एफ-जी]

1.2. अधिनियम की धारा 59 क सरकार को किसी भी तरीके से माल की बिक्री या खरीद पर देय कर की दर के बारे में किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान करती है और ऐसे निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है। धारा 59 क को पढ़ने से पता चलता है कि यदि किसी वस्तु पर अधिनियम के तहत देय कर की दर से संबंधित कोई प्रश्न सरकार को भेजा जाता है तो उस पर उसका निर्णय, "इस अधिनियम में किसी अन्य प्रावधान के बावजूद अंतिम है"। यह खंड यह इंगित नहीं करता है कि कौन सरकार को संदर्भ दे सकता है। सरकार पर किसी भी प्रकार के माल की बिक्री या खरीद पर देय कर की दर के बारे में निर्णय लेने से पहले किसी भी विक्रेता को सुनने का कोई दायित्व नहीं है। वास्तव में, एक सर्वव्यापी आदेश द्वारा सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के संबंध में देय कर की दरों को किसी भी विक्रेता को दिए जाने का कोई अवसर दिए बिना तय किया है। अंत में धारा 59 क में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार द्वारा इस प्रकार दिया गया निर्णय अंतिम होगा और इसका सर्वव्यापी प्रभाव होगा। [657-एफ;डी-इ]

2. धारा 59 क सरकार को प्रशासनिक आदेश पारित करने में सक्षम बनाती है जिसका प्रभाव अधिनियम के अध्याय VII में निहित अपील, पुननिरीक्षण आदि के वैधानिक प्रावधानों को नकारने का होता है। जो अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी को उन प्रश्नों पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जिनके संबंध में धारा 59 क के अधीन आदेश पारित किया जाता है। अर्ध-न्यायिक या न्यायिक निर्धारण का स्थान प्रशासनिक निर्णय ले लिया है। धारा 59 क में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कर की दर से संबंधित प्रश्न पर विक्रेता के सफल होने के बाद भी सरकार को शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है। धारा 59 क के तहत शक्ति इतनी व्यापक और बेलगाम है कि इसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है और इस प्रकार दिया गया निर्णय अंतिम होगा। यह भी हो सकता है कि इसका प्रभाव यह हो कि

ऐसा निर्णय अपीलीय या अधिनियम की धारा 40 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति को निरस्त करने का प्रयास भी कर सकता है। यह धारा एक कार्यकारी आदेश पारित करने में सक्षम बनाती है जो राज्य और विक्रेता के बीच सूची के अर्थ - न्यायिक और न्यायिक समाधान की योजना को नष्ट करने का प्रभाव डालती है। (657-जी-एच; 658-ए-बी)

दधा फार्मा प्रा. लिमिटेड बनाम केरल राज्य, (1990)2 के.एल.टी 307, निर्दिष्ट को ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1994 का 4112-4145 आदि।

केरल उच्च न्यायालय के 15.11.90 के निर्णय और आदेश से ओ०पी० नं . 2300/85,6362/82,6523/83,5445,6055,9691,9697/84,754,2320,4714,5082,6130,669 1,10552,10615,9480/85292,400,4796,4807,4896,5071/86,636,1334,1505,2360,2414,2 159,3086,3123,3106/87,4485,4506,7059/89.

के. एन. भट्ट, पी. कृष्ण मूर्ति, टी.एल.वि. अय्यर, जोसोफ वेल्लापल एम.एल. वेन्ना, राजू रामचंद्रन, जी. प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, एम.टी. जॉर्ज, बी.बी. साहनी, सुश्री इंद्रा साहनी, रॉय अब्राहम, सी.के. शशि, सुश्री बेबी कृष्णन, एम.के.डी. नंबूदरी, आर.एन. केशवानी, रमेश बाबू, एन. सुधाकरन, सी. एन. श्री कुमार, एस बालकृष्णन, एस प्रसाद, आर. शशिप्रभु, वि.जे. फ्रांसिस, पी.एन. रामलिंगम, जी.के.आर. नाम्बियार और उपस्थित दलों के लिए एम०ए० फिरोज।

न्यायालय का निर्णय **किरपाल, जे.**, द्वारा पारित किया गया। याचिका स्वीकृत। विलंब क्षमा किया गया।

इन अपीलों में अपीलकर्ता केरल उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय से व्यथित हैं, जिसने केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 59 ए को अमान्य ठहराया है।

इन अपीलों में प्रत्यर्थी विभिन्न वस्तुओं जैसे कॉपर सल्फेट, बैटरी, बैटरी प्लेट, विद्युत सामान, प्रयोगशाला उपकरण, बैटरी स्पेयर पाटर्स आदि का निर्माण और बिक्री करते हैं। यदि अधिनियम के अधीन उनकी निर्धारण कार्यवाही के दौरान विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए माल पर देय कर की दर या उस प्रविष्टि के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता था जिसके तहत एक विक्रेता द्वारा बेची गई कोई विशेष वस्तु अन्तर्गत आती है, तो इस अधिनियम के तहत निर्धारण और अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लिया जाता था। एक संशोधन द्वारा धारा 59 क को 1 अप्रैल, 1978 से अधिनियम में शामिल किया गया था। इस धारा में सरकार को कर की दर निर्धारित करने की शक्ति देने की मांग की गई थी और यह इस प्रकार है:

"59 क, कर की दर निर्धारित करने की सरकार की शक्ति -यदि किसी वस्तु की बिक्री या खरीद पर इस अधिनियम के तहत देय कर की दर के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो ऐसा प्रश्न सरकार को भेजा जाएगा। इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, निर्णय और उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

उक्त धारा 59 क द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर की दर को स्पष्ट करने के उद्देश्य से समय -समय पर आदेश जारी किए गए। 23 अप्रैल, 1984 को राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें विभिन्न वस्तुओं पर बिक्री कर की दर को स्पष्ट किया गया था। इस आदेश में शामिल वस्तुओं में से एक हॉर्लिक्स, विवा, बूस्ट, बोर्नविटा, ओवुमाल्ट आदि जैसे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ थे। इस आदेश द्वारा सरकार ने कहा कि डिब्बाबंद भोजन की उक्त वस्तुएं अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि-6 के अंतर्गत आती हैं।

इन अपीलों में उत्तरदाताओं में से एक मैसर्स पैरी एंड कंपनी ने उपरोक्त वस्तु - हॉर्लिक्स के वर्गीकरण के संबंध में राजस्व बोर्ड के सचिव को दिनांक 11 दिसम्बर, 1984 को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि वे 30 जून, 1957 से पंजीकृत विक्रेता थे और सभी क्रमिक अधिकारियों ने एस. आई. के तहत प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या धारा 3 में आने वाले दुग्ध उत्पाद के रूप में हॉर्लिक्स के उनके वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया था और इसलिए, वे कम दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, न कि दस प्रतिशत की दर पर जो एस. आई. के तहत देय था। प्रथम अनुसूची के क्रमांक 6. इस पत्र का जो उत्तर प्राप्त हुआ वह इस प्रकार था:

राज्य बनाम त्रावणकोर केम. और मैन्युफैक्ट. सीओ. [किरपाल, जे।] 655

" संख्या ओ०एस० 2661/85/टीएक्स/एलडीआईएस कार्यालय, राजस्व बोर्ड

(कर) त्रिवेंद्रम-1

दिनांक

31-01-1985

प्रेषक

सचिव,
राजस्व बोर्ड (कर)
त्रिवेंद्रम।

सेवा में,

मेसर्स पैरी एंड कंपनी लिमिटेड,
"डेयर हाउस" पोस्ट बॉक्स नंबर.12,
मद्रास-600001

सज्जन,

विषय- कर-हॉर्लिक्स आदि पर कर की बिक्री कर दर।

संदर्भ: आपका पत्र दिनांक 11.12.1984

उपरोक्त विषयांक मामले की जांच पहले की जा चुकी है और सरकार भी कर चुकी है। शासनादेश आर०टी० 314/84/टी०डी० दिनांकित 23. 4.1984 में स्पष्ट किया है कि हॉर्लिक्स के०जी०एस०टी० एक्ट, 1963 की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत आएगा।

आपका विश्वनीय

एस०डी०/-

(सचिव [कर])

अधिनियम की धारा 59क के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रविष्टियों को निर्धारण करने में राज्य सरकार द्वारा लिए ऐसे निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जिनके तहत विभिन्न वस्तुएं आएंगी, इन अपीलों में प्रत्यर्थी/उत्तरदाताओं ने धारा 59क की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय में अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर कीं। विक्रेताओं का मुख्य तर्क यह था कि धारा 59क सरकार को विभिन्न मदों पर लागू कर की दर निर्धारित करने में मनमाना और अनियंत्रित शक्ति और इसके अलावा, उक्त शक्ति का वास्तव में मनमाने तरीके से प्रयोग किया गया था।

उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में *दधा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड* बनाम केरल राज्य, (1990) 2 केएलटी 307. मामले में उस अदालत के पहले के पीठ के फैसले का उल्लेख किया है। यह अधिनियम की धारा 41 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण का मामला था। उच्च न्यायालय को उस मामले में धारा 59क की प्रयोज्यता से संबंधित था। चूंकि यह कर संशोधन के सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से धारा 59क की संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं दे सका। न्यायालय ने कहा कि यदि उस धारा में प्रयुक्त शब्दों को शाब्दिक अर्थ दिया जाता है तो ऐसी शाब्दिक व्याख्या धारा को अस्पष्ट और अनिश्चित होने और गारंटीकृत अधिकारों को छीनने के हमले के लिए संवेदनशील बना देगी। हालाँकि, न्यायालय ने इस धारा को कठोर तरीके से पढ़ा और सरकार द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करने की मांग की। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, स्वतंत्र महसूस किया और उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए आगे बढ़े। प्रावधान का विश्लेषण करने और अधिनियम की धारा 59ए के तहत शक्ति का प्रयोग करने के तरीके को देखने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त धारा में हानिकारक अस्पष्टता की सभी विशेषताएं थीं और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक था।

अपीलार्थियों की ओर से यह श्री के.एन. द्वारा इसका तर्क दिया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील, भट ने कहा कि धारा 59क सरकार को शक्ति प्रदान करने वाले प्रत्यायोजित कानून का एक हिस्सा है। कर के संबंध में किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेना, यह धारा, जिसे प्रस्तुत किया

गया था, उन सीमाओं को प्रस्तुत करती है जिनके अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि यह शक्ति अनुसूची के तहत वर्गीकरण के संबंध में थी न कि कर लगाने के लिए।

दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 59क का प्रभाव यह है कि जब भी उक्त प्रावधान के तहत कोई निर्देश जारी किया जाता है तो अपील आदि का वैधानिक अधिकार छीन लिया जाता है और इस धारा में स्वतः कोई दिशानिर्देश नहीं हैं और न ही यह सरकार को बेलगाम शक्तियां देता है कि जिस तरह से महसूस हो उस तरह से कार्य करें।

अन्य कराधान कानूनों की तरह केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम में कर के आकलन और उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील और संशोधन दायर करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। अध्याय IV कर के निर्धारण, संग्रहण और उद्ग्रहण से संबंधित है। धारा 17 में वह प्रक्रिया शामिल है जिसका निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाना है। यदि निर्धारण प्राधिकारी विक्रेता द्वारा प्रस्तुत रिटर्न को स्वीकार नहीं करता है तो वह मूल्यांकन को अंतिम रूप देने से पहले विक्रेता को सुनवाई का उचित अवसर देने के लिए बाध्य है। इस प्रकार पारित मूल्यांकन आदेश से विक्रेता के व्यथित होने की स्थिति में अध्याय-VII में अपील और संशोधन के प्रावधान हैं

अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील धारा 34 के तहत दायर की जाती है; धारा 36 उपायुक्त को आवेदन किए जाने पर आदेश को संशोधित करने की शक्ति देती है और अधिनियम की धारा 38 के तहत राजस्व बोर्ड को संशोधन की शक्ति भी दी जाती है। धारा 39 एक प्रावधान है जो, कुछ आदेशों के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरणों में अपील करने का उपबंध करता है। धारा 40 किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए सक्षम बनाती है जो उसे प्रभावित करने वाले आदेश पर आपत्ति करता है जो धारा के तहत राजस्व बोर्ड द्वारा पारित किया गया था, जबकि धारा 41 एक व्यक्ति को अधिनियम की धारा 39 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर करने का अधिकार देती है। इन प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कर की दर या जिस प्रविष्टि के तहत विशेष वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाया जाना है, जैसे प्रश्न विभिन्न अर्ध-न्यायिक और न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष उठाए जा सकते हैं और निर्धारित किए जा सकते हैं। अपील और पुनरीक्षण का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी आदेश से व्यथित है।

धारा 59क के सरल रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यदि किसी वस्तु पर अधिनियम के तहत देय कर की दर से संबंधित कोई प्रश्न सरकार को भेजा जाता है। तब इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यह खंड यह इंगित नहीं करता है कि कौन सरकार का संदर्भ दे सकता है। सरकार पर किसी भी प्रकार के माल की बिक्री या खरीद पर देय कर की दर के बारे में निर्णय लेने से पहले किसी भी विक्रेता को सुनने का कोई दायित्व नहीं है। वास्तव में, जैसा कि हमने पहले देखा है, 23 अप्रैल, 1984 के एक सर्वव्यापी आदेश द्वारा सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के संबंध में देय कर की

निर्धारित दरें, सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, किसी भी विक्रेता को दी गई हैं। अंत में धारा 59 ए में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। यह अंतिम होगा और इसका ओवर-राइडिंग प्रभाव होगा।

हमारी राय में धारा 59 क के प्रावधानों को पढ़ने का प्रयास करने का कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रावधान के कार्य स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। उक्त धारा सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करती है। माल की बिक्री या खरीद पर देय कर की दर के बारे में किसी भी प्रश्न पर किसी भी तरीके से निर्णय लेना जो वह उचित समझता है और ऐसे निर्णय को अंतिम रूप देता है।

धारा 59 क सरकार को सक्षम बनाती है। एक प्रशासनिक आदेश पारित करना जो अपील, संशोधन आदि के वैधानिक प्रावधानों को नकारने का प्रभाव रखता है। अधिनियम के अध्याय VII में निहित जो अपीलीय या प्रत्यावर्ती प्राधिकारी को उन प्रश्नों पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता जिनके संबंध में धारा 59 क के अधीन आदेश पारित किया जाता है। अर्ध-न्यायिक या न्यायिक निर्धारण को प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। धारा 59 क में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कर की दर से संबंधित प्रश्न पर एक व्यापारी के सफल होने के बाद भी सरकार को शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है। धारा 59 क के तहत शक्ति इतनी व्यापक और बेलगाम है कि इसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है और इस तरह दिया गया निर्णय अंतिम होगा। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि इसका प्रभाव यह होगा कि इस तरह का निर्णय अधिनियम की धारा 40 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति को ओवरराइड करने का प्रयास भी कर सकता है। यह धारा एक कार्यकारी आदेश पारित करने में सक्षम बनाती है जो राज्य और विक्रेता के बीच एक अर्ध-न्यायिक और न्यायिक संकल्प की योजना को नष्ट करने का प्रभाव डालती है।

हम श्री भट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि यह धारा एक सीमा प्रस्तुत करती है जिसके अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस धारा में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं कि किस स्तर पर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और न ही ऐसी शक्ति का प्रयोग इसे अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अपीलीय या पुनरीक्षण प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य राज्यों के कुछ अधिनियमों में सरकार, उसके पास शक्ति है लेकिन ऐसी शक्ति बेलगाम नहीं है। उदाहरण के लिए दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 49 के तहत बिक्री कर आयुक्त को कुछ विवादित प्रश्नों को निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। उक्त खंड इस प्रकार है:

"49 विवादित प्रश्नों का निर्धारण-

(1) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में या आयुक्त के समक्ष धारा 23 या धारा 24 के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या विक्रेता शुरू करने के अलावा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हो।

- (क) कोई व्यक्ति, सोसाइटी, क्लब या संगम या कोई फर्म या किसी फर्म की कोई शाखा या विभाग विक्रेता है; या
- (ख) किसी माल के लिए किया गया कोई विशेष कार्य धारा 2 के खंड (ज) में दिए गए उस पद के अर्थ के भीतर माल के निर्माण के बराबर है या उसका परिणाम है; या
- (ग) कोई लेन-देन विक्रय है, और यदि ऐसा है तो विक्रय मूल्य है; या
- (घ) किसी विशेष विक्रेता से पंजीकृत होने की अपेक्षा की जाती है; या
- (ङ) किसी विशेष विक्रय के संबंध में कोई कर देय है, या यदि कर देय है, तो उसकी दर;
- आयुक्त, ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसे प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आदेश करेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि आयुक्त ने धारा 23 या धारा 24 के अधीन किसी विक्रेता का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन आरंभ कर दिया है, जब, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा आयुक्त को धारा 23 या धारा 24 के अधीन कोई सूचना दी जाती है।

- (2) आयुक्त निर्देश दे सकता है कि निर्धारण से पहले की गई किसी भी बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।
- (3) यदि ऐसा कोई प्रश्न इस अधिनियम के अधीन या बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 के अधीन पहले से पारित किसी आदेश से उत्पन्न होता है, जो उस समय दिल्ली में प्रवृत्त था, तो इस धारा के अधीन निर्धारण के लिए कोई प्रश्न नहीं लिया जाएगा; लेकिन ऐसा प्रश्न ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील में या उसके पुनरीक्षण के रूप में उठाया जा सकता है।

उपर्युक्त धारा स्वयं यह उपबंध करती है कि निर्धारण के लिए प्रश्न किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अलावा या आयुक्त द्वारा निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन शुरू करने से पहले उत्पन्न होना चाहिए। इसके आगे उपधारा 2 आयुक्त को यह निर्देश देने में सक्षम बनाती है कि प्रश्न का निर्धारण निर्धारण से पहले की गई किसी भी बिक्री के संबंध में उस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। दिल्ली बिक्री कर अधिनियम की उक्त धारा 49 में दी गई ऐसी कोई सुरक्षा या दिशानिर्देश मुख्य प्रावधान में मौजूद नहीं है।

हम केरल उच्च न्यायालय के इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 59 क संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और इसलिए, उच्च न्यायालय को उक्त प्रावधान को निरस्त करने का अधिकार था। उपरोक्त कारणों से यह अपीलों को हर्जे के साथ खारिज किया जाता है।

एस०वी०के०एल०

अपील खारिज।

निरीक्षणकर्ता

कर्णिका अवध

अपर सिविल जज(सी०डी०)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी।